(128)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 2232–दो/2016 निगरानी – विरूद्ध – आदेश दिनांक 6–6–2016 – पारित व्दारा अपर आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल – प्रकरण कमांक 926/2012–13 अपील

लखन लाल पुत्र स्व.सीताराम
ग्राम धनकोट तहसील रेहड़ी
जिला सीहोर म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– सुमित्रावाई पुत्री स्व.सीताराम
2– नर्मदाप्रसाद आ0 दुलीचंद
3– ओम आ0 तुलीचंद
निवासी ग्राम राजोन (बाबई)
जिला होसंगावाद
4– लक्ष्मीवाई पुत्री स्व. सीताराम
5– धापूवाई पुत्री स्व.सीताराम
6– सुगनावाई पुत्री स्व.सीताराम
ग्राम धनकोट तहसील रेहटी
जिला सीहोर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनॉक 16–6–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल के प्रकरण कमांक 926/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 6–6–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम धनकोट स्थित भूमि सर्वे नंबर 80 रकबा 4.10 एकड़ तथा भूमि सर्वे नंबर 81/2 रकबा

7.21 एकड़ कुल किता 2 कुल रकबा 11.31 एकड़ के भूमिस्वामी सीताराम बल्द रामकिसन थे जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 15 पर आदेश दिनांक 27-8-91 से अनावेदकगण की सहमति के आधार पर आवेदक का नामान्तरण किया गया। नामान्तरण आदेश दिनांक 27-8-1991 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष दिनांक 19-1-2011 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर ने प्रकरण कमांक 12/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-6-12 से अपील स्वीकार कर नामान्तरण आदेश दिनांक 27-8-91 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 926/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 6-6-2016 से अपील निरस्त की। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 15 पर मृतक खातेदार के सभी वारिसान के नाम की प्रविष्टि है एंव अनावेदकगण ने मृतक खातेदार की विवाहित पुत्रियां होने के कारण आवेदक के हित में नामान्तरण किये जाने पर सहमति दी है तदुपरांत आदेश दिनांक 27-8-91 से वाद विचारित भूमि पर आवेदक का नामान्तरण किया है। विचार योग्य है कि जब अनावेदकगण के पिता की मृत्यु हुई, उन्हें पिता के नाम कृषि भूमि होने की जानकारी रही है तथा नामान्तरण करते समय उन्होंने तत्समय अपने भाई (आवेदक) के हित में नामान्तण किये जाने हेतु सहमति दी है तब क्या नामान्तरण आदेश दिनांक 27-1-91 के विरूद्ध दिनांक 19-1-2011 को (20 वर्ष वाद) प्रस्तुत अपील को समयावधि में माना जावेगा, जबकि अनावेदकगण को पिता के नाम कृषि भूमि होने की तथा

पिता की मृत्यु की जानकारी यथा-समय रही है। गुड्डीवाई तथा अन्य विरूद्ध बलवीर तथा अन्य 2014 राजस्व निर्णय 220 एंव 1992 रा0नि0 289 हाई कोर्ट के न्याय दृष्टांत हैं कि - परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 - छै वर्ष समय वर्जित अपील - समाधान-कारक कारण नहीं दर्शाया गया - ऐसी अपील समय बर्जित होने से चलाने योग्य नहीं है अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर ने प्रकरण कमांक 12/2010-11 अपील में आदेश दिनांक 12-6-12 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 926/2012-13 अपील में आदेश दिनॉक 6-6-2016 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है तथा अनावेदकगण ने आवेदक के नामान्तरण हेतु कोई सहमति नहीं दी है उनका वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हिस्सा है। अनावेदक के अभिभाषक के इन तर्को के कम में ग्राम की नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति एंव अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के आदेश दिनांक 12-6-12 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब ग्राम की नामान्तरण पंजी पर अनावेदकगण व्दारा हस्ताक्षर/नि.अॅगुष्ठ लगाकर सहमति है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण के हस्ताक्षर/नि. अॅगुष्ठ की हैण्डराईटिंग एक्सपर्ट आदि से जॉच नहीं कराई है तब उनका यह अर्थ निकालना, कि नामान्तरण पंजी पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर/नि. अॅगुष्ठ संदिग्ध हैं, उचित नहीं माना जा सकता। जहॉ तक पैत्रिक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में अनावेदकगण का जन्मजात हिस्सा होने का प्रश्न है ? मृतक खातेदार की पुत्रियॉ विवाहित हैं तथा मृतक खातेदार की मृत्यु वर्ष 1991 में हुई है। प्रकाश एंव अन्य विरूद्ध फूलवती एंव अन्य 2015 (IV) MPJR (SC) 123 का न्याय दृष्टांत है कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 - धारा-6 - हिन्दू की मृत्यु 2 सितम्बर 2005 के पूर्व हुई - उसके मामले में संशोधित प्रावधान लागू नहीं होंगे - संशोधन का केवल भविष्यलक्षी प्रभाव है - हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम

2005 के प्रारंभ पर किसी सहदायिकी की पुत्री को प्रदत्त अधिकार - धारा 6 (1) का परन्तुक एंव धारा 6 की उपधारा 5 ऐसे संव्यवहारों को स्पष्टतः अपवर्जित करने के लिये आशियत है जो 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व हुये हैं जब विधेयक लाया गया। स्पष्ट है कि वाद विचारित भूमि पर अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने आदेश दिनांक 12-6-12 से अपील स्वीकार करते हुये मृतक खातेदार की विवाहित पुत्रियों का समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार करने में भूल की है एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ने उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 926/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 6-6-2016 एंव अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर व्दारा प्रकरण कमांक 12/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-6-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एम0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर